igyk v/;k;
iLrkouk

igyk vè;k;% çLrkouk

1.1 ctV :ijs[kk

राज्य में सचिवालय स्तर पर 53 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं उनकी सहायता उनके अधीन आयुक्तों/संचालकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 35 सरकारी विभागों एवं इन विभागों के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इन विभागों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था एवं मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं इसके विरूद्ध वास्तविक आकड़ों की स्थिति rkfydk&1 में दी गई है।

rkfydk&1: o"kZ 2010&11 ls 2014&15 dk nkSjku jkT; ljdkj dk ctV ,oa O;;

(₹ djksM+ esa)

foj.k	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	ctV vuqeku	okLrfod vkadM+s	ctV vuqeku	okLrfod vkadM+s	ctV vuqeku	okLrfod vkadM+s	ctV vuqeku	okLrfod vkadM+s	ctV vuqeku	okLrfod vkadM+s
jktLo O;;										
सामान्य सेवाएं	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11
सामाजिक सेवाएं	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15
आर्थिक सेवाएं	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12
सहायतानुदान एवं अंशदान	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44
;ksx(1)	**41,863.26**	**45,011.59**	**53,923.49**	**52,693.71**	**63,543.50**	**62,968.53**	**74,388.65**	**69,869.76**	**99,013.82**	**82,372.82**
iwathxr vuqHkkx										
पूंजीगत व्यय	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36	--	0.98
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0	200.00	301.08
लोक लेखे संवितरण	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30
अन्तिम रोकड़ शेष	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96
;ksx (2)	**1,12,273.43**	**84,290.39**	**1,71,877.08**	**1,09,124.13**	**2,48,637.18**	**1,10,346.48**	**3,39,007.35**	**1,17,438.07**	**3,12,671.61**	**1,43,202.13**
Ekgk;ksx (1+2)	**1,54,136.69**	**1,29,301.98**	**2,25,800.57**	**1,61,817.84**	**3,12,180.68**	**1,73,315.01**	**4,13,396.00**	**1,87,307.83**	**4,11,685.43**	**2,25,574.95**

* vFkksik; vfxze ,oa vf/kfod"k.k dk vUrxZr fuoy yu&nsuk dk NksM+dj

(**Lkzksr: foRr ys[kk ,oa ctV nLrkost**)

1.2 jkT; ljdkj ds lalk/kuksa dk vuqç;ksx

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 85,762 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिम) ₹ 1,06,787 करोड़ था। विगत वर्ष के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 77.14 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 67.81 प्रतिशत था एवं इसमें विगत वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 17 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 2010–11 से 2014–15 के दौरान 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ोत्तरी हुई।

1.3 lrr cpr

आठ प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों 2010–11 से 2014–15 के दौरान, संबंधित अनुदान/विनियोग के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सतत बचतें हुई थी। जिसे rkfydk&2 में दर्शाया गया है।

Rkkfydk&2: o"k 2010&11 l 2014&15 d nkjku lrr cpr oky vunkuk@fofu;kx dh lph

(₹ djkM e)

l-d-	vunku@fofu;kx l[;k ,o uke	cprk dh jkf'k (dy vunku dk ifr'kr)				
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
	jktLo&nRrer					
1	29-विधि एवं विधायी कार्य	259.71 (41.04)	137.82 (20.06)	192.19 (28.05)	333.48 (35.47)	564.12 (44.34)
	बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"k 2014&U;k; iz'kklu ,o 2015&pquko d vrXkr gbZ					
2	31-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	85.87 (56.29)	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)
	बचतें मुख्य 'kh"k 3451&lfpoky;&vkfFkd lok,a ,o 3454&tux.kuk lo{k.k rFkk lkf[;dh d vrxr gbZ					
3	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय–कमांड क्षेत्र विकास	1.22 (38.98)	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)
	बचतें मुख्य 'kh"k 2705&dekM {k= fodkl d vrXkr gbZ					
	jktLo& iHkkfjr					
4	06-वित्त	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)
	बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"k 2071&i'ku ,o vU; lokfuOkRr fgrykHk d vrXkr gbZ					
	ithxr &nRrer					
5	06- वित्त	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)
	बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"k 6075&fofo/k lkekU; lokvk grq dt d vrxr gbZ					
6	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)
	बचतें मुख्य 'kh"k 6245&ikdfrd vkink d fy, jkgr grq dt d vrXkr gbZ					
7	67-लोक निर्माण–भवन	35.89 (33.27)	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75,72 (40.33)
	बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"k 4059&ykd fuek.k ij ithxr ifj0;; d vrXkr gbZ					
	ithxr&iHkkfjr					
8	लोक ऋण	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)
	बचतें मुख्यतः मुख्य 'kh"k 6003&jkT; ljdkj d vkrfjd _.k d vrXkr gbZ					

(lkr% lcf/kr o"kk d fofu;kx y[kk)

1.4 Hkkjr ljdkj l lgk;rkunku

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान rkfydk&3 में दिये गये हैं।

rkfydk-3: Hkkjr ljdkj l ikIr lgk;rkunku

(₹ djkM esa)

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजना योजना के लिए अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान	649	364	500	153	1,263
केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजना योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
;kx	**9,077**	**9,929**	**12,040**	**11,777**	**17,592**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–)का प्रतिशत	36.23	9.39	21.26	(-)2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

(Lkkr: foRr y[k)

1.5 y[kkijh{kk dh vk;kstuk ,oa lapkyu

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार करते हुए जोखिम के आकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है एवं वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा राज्य के 820 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं 92 स्वायत्त निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, 10 निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गईं।

1.6 fujh{k.k ifrosnuksa ij ljdkj dh mRrjnkf;Rork dk vHkko

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, लेन देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण एवं निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता लगी, महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर

निराकरण नहीं होता है, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गये कार्यालय के प्रमुख को, एक प्रति उससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हुए भेजी जाती है।

कार्यालय प्रमुखों एवं उससे उच्च अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश को प्रेषित करें। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताओं को नियमित रुप से विभागाध्यक्ष की जानकारी में भी लाया जाता है।

हमने देखा कि 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मार्च 2015 तक जारी किए गए सामाजिक क्षेत्र विभागों से संबंधित 7,170 निरीक्षण प्रतिवेदन (22,143 कंडिकाएं) एवं सामान्य क्षेत्र विभागों से संबंधित 1,451 निरीक्षण प्रतिवेदन (3,792 कंडिकाएं) निराकरण हेतु लंबित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति का विवरण ifjf'k"V 1-1 में दिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें हुई जिनमें 195 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1,545 कंडिकाओं का निराकरण किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु ध्यान दें।

1.7 egRoiw.kZ ys[kkijh{kk iz{k.kksa ij ljdkj dh izfrfØ;k

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएं देने तथा नागरिकों को सेवा देने में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को उत्तर छह सप्ताह में भेजना आवश्यक होता है। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी, इन कंडिकाओं के सम्मिलित किए जाने की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन पर बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, 10 निष्पादन लेखापरीक्षा/दीर्घ कंडिका पर प्रारुप प्रतिवेदनों एवं 28 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सभी 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/दीर्घ कंडिकाओं एवं 17 कंडिकाओं पर सरकार के उत्तर प्राप्त हो चुके है।

1.8 y[kkijh{kk ifrosnuksa ij vkxs dh dk;Zokbh

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमानुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की गयी हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई कार्रवाईयां/प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थीं।

वर्ष 2008–09, 2010–11 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित कुल 51 कंडिकाओं में से सात कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2015) जिसका विवरण rkfydk&4 में दिया गया है।

rkfydk&4: lkekU; ,oa lkekftd ¼xSj lkoZtfud {ks= miØe½ {ks= ds y[kkijh{kk ifrosnu esa lfEefyr dafMdkvksa ij izkIr foHkkxh; mRrjksa dh fLFkfr

o"kZ	foHkkx	30 flrEcj 2015 dh fLFkfr esa yfEcr foHkkxh; mRrj	jkT; fo/kkulHkk esa iLrqfr dh fnukad	foHkkxh; mRrj izLrqr gksus dh fu/kkZfjr fnukad
2008-09	राजस्व	01	28-07-2010	28-10-2010
2010-11	राजस्व	01	12-12-2012	12-03-2013
2011-12	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	01	11-01-2014	11-04-2014
2012-13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	01	22-07-2014	22-10-2014
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01		
	आवास एवं पर्यावरण	01		
	सामान्य प्रशासन	01		
	;ksx	**07**		

1.9 jkT; fo/kku lHkk esa Lok;Ÿk'kklh fudk;ksa ds i`Fkd y[kkijh{kk ifrosnuksa dks j[ks tkus dh fLFkfr

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की गई है। राज्य में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित चार स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन देनों के सत्यापन, प्रचालन गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रक्रिया तथा प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के लिए की जाती है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति rkfydk&5 में दर्शायी गई है।

rkfydk& 5: Lok;Ÿk fudk;ks ds ys[kk dk iLrr djus dh fLFkfr

Lks. Ø-	fudk; dk uke	lkiu dh vof/k	o"k tc rd ys[k iLrr fd, x, Fk	vof/k tc rd iFkd ys[kkijh{kk ifronu tkjh fd, x, Fk	fo/kku lHkk e iFkd ys[kkijh{kk ifronuk dh iLrfr	iLrrhdj.k e foyc[1]@ys[kk dk iLrr u fd;k tkuk ¼ekgk e½
1	म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2014–15 तक	2013–14	2013–14	2012–13 वर्ष 2013–14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (03) 2014–15 (03)
2	म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2011–12	2011–12	वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011–12 (23)
3	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	1997–98 से 2012–13	1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किए गए थे। इन लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाएगें।	–––––	1997–98 (205) से 2012–13(25)
4	म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, भोपाल	2016–17 तक	2013–14	2013–14	वर्ष 2013–14 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। अनुस्मारक (मई 2015) के बावजूद राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (09) 2014–15 (03)

जैसा कि rkfydk& 5 से देखा गया, कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में 205 माह तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ था एवं वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किये गये थे।

राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलम्ब के परिणाम स्वरुप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्तशासी निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

1. विलम्ब की अवधि लेखाओं की प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2015 तक ली गयी है।